पत्रांक : 3969 / आयु0क0उत्तराखण्ड / धारा–57 अनु0 / वाणि0कर / 2015–16 / देहरादून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड।

(धारा–57, अनुभाग)

देहरादूनः दिनांकः 04 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2015

प्रार्थना पत्र संख्या –
द्वारा – **सर्वश्री जैन सेल्स कार्पोरेशन, प्रीत विहार कॉलोनी, रूद्रपुर।**
उपस्थिति – **श्री रजनीश सिंगला, अधिवक्ता फर्म**
निर्णय का दिनांक – , 2015

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री जैन सेल्स कार्पोरेशन, प्रीत विहार कॉलोनी, रूद्रपुर द्वारा धारा–57 के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कांच, बोन पाउडर अथवा अन्य सामग्री से बने बर्तनों पर कर की दर स्पष्ट करने की अपेक्षा की गई है।

व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, काशीपुर सम्भाग, काशीपुर से आख्या प्राप्त की गयी। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, काशीपुर सम्भाग, काशीपुर द्वारा निम्न प्रकार आख्या प्रेषित की गयी है :–

"व्यापारी के प्रार्थना पत्र में जिन वस्तुओं पर कर की दर के विषय में स्पष्टता चाही गयी है, वह विशेष प्रकार से विशिष्ट प्रयोजनार्थ बनायी जाती हैं। विभिन्न न्यायालयों द्वारा सामान्य प्रचलन में मुख्यतः धातुओं से बनी वस्तुओं को बर्तन तथा चीनी मिट्टी, बोन चाइना से बनी वस्तुओं को कॉकरी के रूप में परिभाषित करने सम्बन्धी निर्णय पारित किये गये हैं। कांच, चीनी मिट्टी, बोन चाइना से बनी वस्तुएं, बर्तनों की भांति जो सामान्यतः धातुओं से बनते हैं, नहीं समझी जायेगी। इन वस्तुओं को कॉकरी की श्रेणी में रखा जाना अधिक समीचीन होगा तथा कॉकरी को किसी भी परिस्थिति में बर्तन कहना उचित नहीं होगा। इस प्रकार कांच, चीनी मिट्टी, बोन चाइना से बने Table व Kitchen wares को बर्तनों से अलग मानते हुए प्रश्नगत वस्तुओं पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आकर्षित होगा।"

धारा–57 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु श्री रजनीश सिंगला, अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि वे कांच, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी तथा बोन पाउडर से निर्मित बर्तनों की खरीद–बिक्री करते हैं। उपस्थित अधिवक्ता फर्म द्वारा विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों के आलोक में कांच तथा बोन पाउडर से बने बर्तनों को उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची II (ख) की प्रविष्टि संख्या–8 यथा "बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर अल्यूमिनियम, लोहा व इस्पात, प्लास्टिक अथवा अन्य सामग्री से बने सभी प्रकार के बर्तन एवं इनैमिल के बर्तन (जिनमें प्रेशर कुकर / पैन भी सम्मिलित है), बाल्टियां, जग एवं मग" से आच्छादित मानने का अनुरोध किया गया है।

धारा–57 के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, काशीपुर सम्भाग, काशीपुर द्वारा प्रस्तुत मत एवं सुनवाई के समय प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर विचार किया गया।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची II (ख) की प्रविष्टि संख्या–8 यथा "बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर अल्यूमिनियम, लोहा व इस्पात, प्लास्टिक अथवा अन्य सामग्री से बने सभी प्रकार के बर्तन एवं इनैमिल के बर्तन (जिनमें प्रेशर कुकर / पैन भी सम्मिलित है), बाल्टियां, जग एवं मग" है। इस प्रविष्टि के प्रथम दृष्ट्या अवलोकन पर मुख्यतः इस प्रविष्टि से धातुओं के बर्तन तथा प्लास्टिक के वो सामान जो रसोई में प्रयोग होते हैं, आच्छादित हैं। सामान्यतः प्रचलित

670
05.11.18

प्र.अ. / प्राशनिक / ....
आवश्यक कार्यवाही करें

डि.कमि.(क.नि.) खण्ड–1
वाणिज्य कर, देहरादून

भाषा में बर्तन मुख्यतः धातु व प्लास्टिक से बनाये जाते हैं। कॉकरी सामान्यतः घरेलू उपयोग हेतु सभी प्रकार के पके मिट्टी के बने होते हैं। विभिन्न शब्दकोशों में कॉकरी का अर्थ निम्नवत् दिया गया है:—

Chamber's Dictionary - Earthenware, vessel of baked clay.
Oxford Dictionary - Earthenware, vessel
Webster's Dictionary - Earthenware, Pots, Jars,dishes etc. made of baked clay.
Earthenware के, विभिन्न शब्दकोशों में, निम्न अर्थ दिए गए हैं:—
Chamber's Dictionary - Crockery, coarse pottery.
Oxford Dictionary - vessel etc. made of baked clay.
Webster's Dictionary - Containers, Table ware, etc. made of baked clay.

कॉकरी एवं Earthenware के अर्थों से यह स्पष्ट है कि कांच एवं बोन पाउडर से बने Table व Kitchen ware, सामान्य बर्तनों (utensils) से अलग हैं। इन्हें सामान्य भाषा में बर्तन न कहते हुए कॉकरी कहा जाता है।

सर्वश्री यू0पी0ग्लास मैन्यूफैक्चरर सिंडिकेट, द्वारा जनरल ट्रेडर्स फिरोजाबाद के धारा—59 के अन्तर्गत दिए गए प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 24.01.2008 को यह निर्णय दिया गया है कि यह सामान्य जानकारी का विषय है कि बर्तनों के विक्रेता कांच से बनी वस्तुएं यथा कप, प्लेट इत्यादि की बिक्री नहीं करते हैं। ये वस्तुएं बर्तनों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं हैं, वरन् ये कॉकरी की श्रेणी से आच्छादित होंगी। उपस्थित अधिवक्ता फर्म द्वारा विभिन्न न्यायालयों द्वारा भिन्न—भिन्न वादों में दिए गए निर्णय प्रश्नगत मामले में लागू नहीं होते हैं।

इस प्रकार कॉच एवं बोन पाउड़र से बने बर्तन उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची II (ख) की प्रविष्टि संख्या—8 यथा "बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर अल्यूमिनियम, लोहा व इस्पात, प्लास्टिक अथवा अन्य सामग्री से बने सभी प्रकार के बर्तन एवं इनैमिल के बर्तन (जिनमें प्रेशर कुकर/पैन भी सम्मिलित है), बाल्टियां, जग एवं मग" से आच्छादित नहीं होते हैं तथा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की किसी अनूसूची में Crockery, Earthenware, एवं Glass ware की प्रविष्टि नहीं होने तथा सन्दर्भित वस्तुओं के किसी अन्य प्रविष्टि से आच्छादित नहीं होने के कारण इन वस्तुओं पर अवर्गीकृत की भांति 13.5 प्रतिशत की दर से कर देयता होगी।

तद्नुसार आवेदन कर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक—पृथक भेजी जाए।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 /दिनांक : उक्त ।

प्रतिलिपि :—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।